न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5852/2002/उदयपुर

श्री रामनाथ पुत्र श्री खेमनाथ (मूल पिता श्री पूंजनाथ) निवासी नावड़ा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

मु0 मोगी पत्नि श्री शंकरनाथ जी जोगी निवासी बडगांव तहसील सराड़ा जिला उदयपुर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री ओंकारलाल दवे, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 14–09–18

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम)की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–07–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी रामनाथ ने एक वाद घोषणा खातेदारी अधिकार, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर, सलूम्बर के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने पेश किया कर कथन किया कि उक्त भूमि पर रामनाथ का कोई अधिकार नहीं है। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने वादी का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2000 द्वारा खारिज कर दिया तथा प्रतिवादियाँ का कास आब्जेकशन भी कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रत्यर्थी ने प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2002 द्वारा

स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन को खारिज किया तथा विचारण न्यायालय पारित निर्णय व डिक्री को आंशिक रूप से यथावत रखा अर्थात वादी के वाद को खारिज करने के विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा तथा प्रतिवादियॉं के क्रोस केस को खारिज करने के विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3. हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन नहीं किया तथा आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपना निर्णय पारित किया है। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात नहीं बनाई, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण था किन्तु अधीनस्थ अपील न्यायालय ने भी उसे यथावत रखा। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक बिन्दू को नजर अंदाज किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट कथन किया था कि वादी के पूर्व पिता श्री पूजंनाथ की शादी मु0 धूली के साथ हुई व दो लड़के रामनाथ व कालूनाथ हुए। कालूनाथ का स्वर्गवास पूर्व में ही हो चुका था। पूंजनाथ के स्वर्गवास होने पर उसकी पत्नि धूली ने खेमनाथ को अपने घर नावड़ा में रख उसके नाम का चूड़ा पहन कर अपने पूर्व पति के मकान में अपने बच्चे कालूनाथ व रामनाथ के साथ रहने लगी तथा मु0 धूली ने अपने पूर्व पिता के मकान में पूंजनाथ को रखा तब मु0 मोगी का खेमनाथ के नुतफे से जन्म हुआ। इस प्रकार रामनाथ, कालूनाथ व मु0 मोगी तीनों भाई बहन हुए तथा तीनों ने ही बिलानाम भूमि पर कब्जा काश्त कर काश्त योग्य बनाया व खेमनाथ के खाते दर्ज करवाई। परन्तु जब खेमनाथ की मृत्यु हुई तो उपरोक्त वर्णित भूमि मु0 धूली के नाम दर्ज हा गई एवं धूली की मृत्यु के पश्चात् मु0 मोगी ने अपने आपको धूली का एक मात्र वारिस बताकर नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम पारित करवा लिया एवं राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लिया, जो पूर्णतया गलत था, क्योंकि मु0 धूली के नाम पर विवादित भूमि अंकित होने के कारण मु0 धूली की मृत्यु के पश्चात् धूली के पुत्र रामनाथ भी जिन्दा था इसलिए उसका नाम भी राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना चाहिए था, उक्त तथ्य पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया व क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपने निर्णय पारित किए। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी बिन्दू को भी नजर अंदाज किया कि प्रतिवादी मु0 मोगी ने अपने बयान में यह स्पष्ट

कथन कियाकि रामनाथ व कालूनाथ, धूली के दो पुत्र थे व पूंजनाथ के मरने के बाद धूली ने मेरे पिता खेमनाथ से विवाह कर लिया। उक्त स्वीकारोक्ति के पश्चात् भी विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है तथा तनकी सं0 1 को वादी के विरूद्ध तय करने में विधिक त्रुटिकारित की है। तनकी सं0 2 में वादी का यह सिद्ध करना था कि आया खेमनाथ वादी रामनाथ का पिता होने से विवादित आराजियात खेमनाथ के नाम दर्ज की गई। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि पूंजनाथ की मृत्यु के पश्चात् वादी रामनाथ की माता मु0 धूली ने खेमनाथ से शादी कर ली तथा खेमनाथ, पूंजनाथ के मकान में ही रहा तथा वादी के पिता की भांति रहा, ऐसी स्थिति में भी वादी खेमनाथ का वारिस होता है। मु0 धूली के नाम भूमि आ जाने से मु0 धूली का पुत्र रामनाथ सिद्ध है, इसलिए मु0 धूली के हिस्से की जमीन का खातेदार वादी रामनाथ को घोषित किया जाना चाहिए था। उनका तर्क था कि तनकी सं0 3 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में पारित करने में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने त्रुटिकारित की है, क्योंकि विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 3 वादी के विरूद्ध पारित कर उक्त भूमि पर कब्जा नहीं माना। विचारण न्यायालय ने तनकीसं0 3 को प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध नहीं मानकर कोर्स दावा खारिज कर दिया किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोर्स सूट के विरूद्ध पेश अपील को स्वीकार कर वादी को पाबंद करने का आदेश प्रदान किया जो पूर्णतया गलत है एवं रिकार्ड के विपरीत है, क्योंकि जब प्रतिवादी का कब्जा ही नहीं है तो स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उनका यह तर्क था कि वादी अपने वाद को सम्पूर्ण रूप से सिद्ध करने में सफल रहा इसके पश्चात् भी विचारण न्यायालय ने उसका वाद डिक्री नहीं करने में अपने अधिकार क्षैत्र का दुरूपयोग किया। उनका तर्क था कि मुखालफाने कब्जे के आधार पर भी वादी खातेदार काश्तकार हो गया है। योग्य अधिवक्ता ने ए0आई0आर0 2005 (एस0सी0) पेज 3079, 2006 आर0एल0डब्लू0 (आर0जे0) (1) पेज 621 व 1989 आर0आर0डी0 पेज 527, 168 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि द्वितीय अपील में न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षो के संबंध में साक्ष्य को पुनः परीक्षित करने एवं उसके निष्कर्षो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने हेतु सक्षम है। योग्य अधिवक्ता ने 1997 आर0बी0जे0 पेज 417 का न्यायिक दृष्टांत करते हुए तर्क दिया कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15 एवं 16 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के दो विवाहों से उत्पन्न पुत्रियों का अधिकार उसकी सम्पति में समान होगा। योग्य अधिवक्ता ने 1995 आर0आर0डी0 पेज 517 व 2012 आर0बी0जे0 पेज 545 पेश करते हुए कथन किया कि कमीश्नर की नियुक्ति साक्ष्य एकत्रित करने हेतु नहीं की जा

सकती। ए0आई0आर0 2005 (सप्ली0) पेज 3079, 2006 आर0एल0डब्लू0 (प्रथम) राज0 पेज 621, 2003 आर0बी0जे0 पेज 42, 1989 आर0आर0डी0 पेज 527 व 168 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए, जिनमें निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः–

AIR 2005 SC 3079 :

"(A) Civil P.C. (5 of 1908), S. 100(5) - Second appeal - Substantial question of law not formulated - Hearing - Reasons therefor have to be recorded - Suit for specific performance of contract - Second appeal - Only question framed whether agreement can be executed even after increase or decrease in land covered by agreement after consolidation - High Court recording finding on question framed and also on question of willingness of purchaser - No reasons recorded - Not proper - High Court could not have set aside judgment of first Appellate Court in its entirety."

2006 RLW (RJ) (i) 621 :

"(b) C.P.C., Sec. 100 - Second appeal - Re-appreciation of evidence - Concurrent finding of Lower Court - Lower Courts erred in not appreciating the oral and documentary evidence properly - Held - High Court is at liberty to re-appreciate the evidence and record its own conclusion for reversing the orders passed by Lower Court."

2003 (10) RBJ 42 :

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Section 76 - Scope - In second appeal Revenue Board is empowed to decide even disputed question of fact - In this case, while deciding the second appeal, Revenue Board did not address about the nature of land at the time of allotment and its continued possession of the petitioner. Hon'ble High Court remanded the case to the Revenue Board for deciding it afresh. Because unlike Section 100 of the Civil Procedure Code, empowers Board of Revenue to determine even disputed question of fact while deciding the second appeal. Writ Petition allowed"

1989 RRD 168 :

"(a) Appreciation of Evidence - Normally, second appellate court will go behing concurrrent findings of fact recorded by lower courts but where the

findings have been arrived at either by misreading evidence or findings are contrary to weight of evidence, there is no legal bar to its doing so."

1997 RBJ 417 :

"Hindu Succession Act 1956 - Section 15 and 16 - Daughters of female Hindu from two different marriages shall inherit the propery in equal share - The appellant Mst. Kali and Mst. Kaisar are the real daughters of Mst. Hathi. Although Mst. Kaisar was born from her previous husband. Therefore, father of appellant Mst. Kali and Kaisar are different but the mother is same. Under Section 16 of the Hindu Succession Act 1956 the property of Mst. Hathi will devolve on both the daughters in equal share."

1995 RRD 517 :

"Rajasthan Tenancy Act, Section 188 - Possession with the entries in revenue records is a must for issuing injunction - Documentary evidence (Ex. 1 to 27) has been filed in addition to the verbal statements on behalf of the plaintiff which reveals that he has purchased the disputed land on 11.7.37 by sale (Ex. 23) shows that it is a 'Panadi' issued by Mewar State and he is the khatedar of the land in dispute since St. 2028 to 2047 as per Ex. 22 - Payment of land revenue by ptff. is confirmed by Ex. 1 to 21 which are receipts of payment - Certified copies of Jamabandi St. 2017 to 2020 is in favour of the ptff. showing him as a khatedar tenant - Copy of jamabandi produced by deft."

2012 (19) RBJ 545 :

"Code of Civil Procedure, 1908 - Order 26 Rule 9. Appointment of Commissioner. Commissioner cannot be appointed for collection of evidence. It is pertinent to note that a bare perusal of the provisions of Order 26 Rule 9 clearly suggests that it is the discretion of the Court to appoint Commissioner and if the Court deems a local investigation to be requisite or proper for elucidating any matter in dispute, it can direct the appointment of a Commissioner for such investigation and report thereon to the Court. In the instant case, the application is found to have been filed by the petitioners for appointment of Commissioner with a view to collection of evidence. Further, the petitioner did not file such application under Order 26 Rule 9, C.P.C., before executing Court. Now, he has filed this application with a view to procrastinate the execution proceedings and further with a design to frustrate the decree. The appellate Court is found to have dealt with all these

aspects ad-longum are passed the impugned order, with which I am in unison and finally concur."

अन्त में निवेदन किया कि द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त कर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खेमनाथ की खातेदारी की भूमि थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसकी पत्नि धूली के नाम द्वारा सं0 450 दिनांक 22–06–86 को स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार धूली की मृत्यु होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण धूली की एक मात्र संतान उसकी पुत्री मोगी के नाम दिनांक 18–06–89 को स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि बाबत् 1994 में रामनाथ ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर के न्यायालय में पेश किया। उक्त दावे में रामनाथ ने अपने आपको धूली का लड़का बताया तथा बाप का नाम पूंजनाथ बताया। उसका यह भी कथन रहा कि उसके पिता पूंजनाथ की मृत्यु हो जाने पर उसकी माँ खेमनाथ के साथ रहने चली गई। विचारण न्यायालय ने रामनाथ के उक्त आशय का दावा तथ्यों का पूर्ण विश्लेषण कर खारिज कर दिया, जो उचित था परन्तु उक्त वाद में में प्रतिवादियाँ ने भी काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रतिवादी के कब्जे में दखल नहीं करे। विचारण न्यायालय ने वादी का न तो कब्जा माना एवं न ही उत्तराधिकारी मानते हुए उसका वाद खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 3 के विश्लेषण में प्रतिवादियाँ को विवादित भूमि का खातेदार एवं काबिज माना है, फिर भी काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं करने में विधिक त्रुटि की है। तनकी सं0 1 व 2 के विश्लेषण में विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 1 व 2 साबित होना नहीं माना, उक्त तनकी को साबित करने का भार स्वंय वादी पर था, किन्तु उक्त तनकी वादी साबित नहीं कर सका तो तनकी सं0 3 स्वतः प्रतिवादियाँ के पक्ष में साबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। गिरदावरी में कब्जे के कॉलम में अपीलार्थी का नाम नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने डी0एन0जे0 2015 एस0सी पार्ट–3 पेज 825 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया, जिसमें निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः–

Hindu Succession Act, 1956 - Sec. 15- Right of female in the Property- Property purchased in the name of

'G'- Husband of the 'G' entered into 2nd marriage with 'I' after the death of 'G' - Son of 'G' and Defendant No. 1 were class -I heir - Defendant No. 1 did not relinquish his half share in the suit property- Held, High Court was not justified in recording the findings and the judgement and decree is set aside."

अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6. हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आक्षेपित आदेशों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि मोगी, मु0 धूली की पुत्री है जो श्री खेमनाथ से पैदा हुई है जबकि श्री रामनाथ मु0 धूली के पहले पति पूजंनाथ से पैदा हुआ है। श्री रामनाथ ने अपने पिता की सम्पति में हक प्राप्त कर लिया है, जिस पर वह काश्त करता चला आ रहा है जबकि खेमनाथ जो कि मु0 धूली का दूसरा पति है, को विवादित भूमि आवंटित हुई है, जिसमें मात्र उसकी पत्नि धूली व पुत्री मोगी का ही हक बनता है। दूसरे पिता की सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत श्री रामनाथ अपीलार्थी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हमारी राय में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपना निर्णय प्रदान किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते है तथा उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं पाते है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य प्रश्नगत द्वितीय अपील के तथ्यों से भिन्न होने के कारण वे इस पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते है, अतः द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रसिंह राव)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष